राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1) विभाग

क्रमांक प.3/1(1)कार्मिक/क–1/04 जयपुर, दिनांकः– 23 MAY 2018

समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी,
राजस्थान संवर्ग।

विषयः– वित्तीय स्वीकृतियों के बजट मद के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है इस विभाग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के संबंध में जारी विभिन्न वित्तीय स्वीकृतियों (पूर्व आरक्षित टिकट निरस्तीकरण, शिक्षा भत्ता, मकान किराया भत्ता, अग्रिम स्वीकृति, परिवहन भत्ता एवं अन्य कोई भी वित्तीय स्वीकृति) के संबंध में निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा बजट मद अंकित नहीं किये जाने के कारण आक्षेप लगाया जाता है।

अतः इस संबंध में लेख हे कि कृपया इस विभाग को प्रेषित किये जाने वाले उपर्युक्त सभी आवेदन पत्रों में विस्तृत बजट मद का उल्लेख आवश्यक रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करवायें।

भवदीय,

(अरविन्द पोसवाल)
संयुक्त शासन सचिव,
टे.न. 0141–2227347

प्रतिलिपिः– निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

(राधा किशन)
सहायक शासन सचिव
टे.नं. 0141–5153222/21989

E:d/PKLOONIYA/Hindi letter A4. 2014